बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0—9/आ0—01—41/2024(स्वा0)........................../ पटना, दिनांकः—........................

जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 14226/गो0 दिनांक—05.12.2024 द्वारा डा0 सत्येन्द्र नारायण मोहन पासवान, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मसौढ़ी, पटना के विरूद्ध प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मसौढ़ी के द्वारा दिनांक—30.11.2024 को कार्य के समीक्षा के दौरान उनके कक्ष में घुसकर उपस्थिति दर्ज करने हेतु विवाद करने, पिस्टल तानते हुए गाली—गलौज कर थप्पड़ मारने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है। प्रतिवेदित आरोप के आलोक में डा0 पासवान को अपने पदीय कार्य के प्रति लापरवाही बरतने एवं अनुशासनहीनता के लिए उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम—9(i)(क) के तहत अधिसूचना निर्गत की तिथि से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में डा0 पासवान का मुख्यालय, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में डा0 पासवान को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम—10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. संदर्भित आरोपों की जॉच हेतु इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/—
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः 9/आ0—01—41/2024(स्वा0)69(9)**........../ पटना, दिनांकः—**17.01.25

प्रतिलिपिः—महालेखाकार (ले० एवं ह0) बिहार पटना/प्रभारी वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—डा0 सत्येन्द्र नारायण मोहन पासवान, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मसौढ़ी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उपेन्द्र
17/01/2025
सरकार के अवर सचिव।